न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 131/2024 G.C.M.S. No. 2024/559 दर्ज दिनांक : 23.12.2024

अपीलार्थिगण:

1. मृतक लाबुराम पुत्र देरामराम के वारिसानः–
   1. गोगीदेवी पत्नि लाबुराम
   2. देवाराम पुत्र लाबुराम, जातियान जाट, निवासीगण अबकाई की ढ़ाणी, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कमला पत्नि मांगीलाल
2. दुर्गा पुत्री मांगीलाल
3. रेखा पुत्री मांगीलाल
4. रणजीत पुत्र मांगीलाल, जातियान जाट, निवासीगण अबकाई की ढ़ाणी, तहसील सोजत व जिला पाली।
5. तहसीलदार भूमिधारक सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2021 बअनवान कमला वगैरह बनाम मृतक लाबूराम के वारिसान गोगीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.11.2024

पैरोकार –

1. श्री रमेशराम मोटड़ा, श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 11.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2021 बअनवान कमला वगैरह बनाम मृतक लाबूराम के वारिसान गोगीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम अबकाई की ढाणी, पटवार हल्का चौपडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपडा, तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 132/2 रकबा 2.6100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 130 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कृषि भूमि मे से आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नम्बर 138, 139 व 140 कुल खसरा 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन अपीलार्थी पर नोटिस तामिल नहीं हुए। जिस कारण एकतरफा कार्यवाही की गई एवं तहसीलदार सोजत से वांछित रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। जो मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 को प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम अबकाई की ढाणी, पटवार हल्का चौपडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपडा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 128, 139 व 140 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 132/2, 130 की कृषि भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि श्रीमान् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुए थें। रेस्पोंडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व अधिकारियों की सहायता से जो रिपोर्ट तैयार की है वह रिपोर्ट मौके पर स्थित वास्तविक स्थिति के विपरित है। क्योंकि रिपोर्ट में वर्णित ए से बी के मध्य अपीलार्थी के पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में मकान बने होने बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है एवं बने हुए मकान को हटाकर रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं हैं। धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी काश्तकार को दूसरे काश्तकार की कृषि भूमि में से ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता दर्शाया गया है उसमें खसरा नम्बर 130 व 129 गैर मुमकिन आगोर व गैर मुमकिन अखरिया सरकारी भूमि है। जिस कारण उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 138 से चिपते हुए खसरा नम्बर 140 की जमीन आई हुई है जो खसरा नम्बर 132 से सलंग्न है तथा खसरा नम्बर 132 आगे रास्ते से जुडी हुई हैं। इस कारण खसरा नम्बर 132 मे से रास्ता दिया जाता है तो वह वर्तमान में दिये गये रास्ते में से सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा से केवल खसरा नम्बर 132/2 व 130 में से ही रास्ते की मांग की हैं। जबकि धारा 251 के अनुसार कोई भी काश्तकार केवल मात्र अपनी सुविधा से रास्ते की मांग नहीं कर सकता। किसी भी काश्तकार को नया रास्ता दिये जाने से पूर्व राजस्व कर्मचारी द्वारा वांछित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन इस प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्णतया रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में ही तैयार की गई। इसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता होने बाबत् कोई कथन नहीं किये गये। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता ए से सी की लम्बाई 210 मीटर है जबकि अगर खसरा नम्बर 140 के किनारे से खसरा नम्बर 132 से होते हुए रास्ता दिया जाता है तो वह रास्ता 210 मीटर से कम की लम्बाई का होगा। इस तथ्य को श्रीमान् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 138, 139 व 140 तक पहुंच मार्ग के लिए धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2024 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 132/2 व खसरा संख्या 130 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित ए से बी के मध्य अपीलांट के मकान बने हुए हैं। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा गौर नहीं कर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. चौपड़ा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि में पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 130 के पास दीवार व टीनशेड स्थित है। जोकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्मित करना बताया गया है। अर्थात जांच अधिकारी द्वारा स्पष्ट जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्मित संरचना के स्थान को छोड़कर भी रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता था।
3. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि खसरा संख्या 129 व 130 क्रमशः गैर मुमकिन आखरिया है, जहां से रास्ता नहीं दिया जा सकता। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की हैं,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 129 गैर मुमकिन आगोर भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है तथा खसरा संख्या 130 गैर मुमकिन आखरिया है, जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं हैं। जिसमें से रास्ता स्वीकृत करने में कानूनन कोई बाधा नहीं हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. उपलब्ध अभिलेखानुसार अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 132/2 है। अतः अपीलांट इसके अतिरिक्त दीगर आराजीयात के संबंध में कोई उज्र लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

5. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. चौपडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 138, 139 व 140 तक पहुंच के लिए सभी संभावित प्रस्तावित विकल्प नहीं दर्शाकर केवल एक ही विकल्प प्रस्तावित किया गया है तथा जांच अधिकारी द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, न्यूनतम रकबा व निकटतम दूरी के प्रस्तावित विकल्प के संबंध में कोई टिप्पणी व जांच नहीं की गई हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट आंशिक रूप से साबित होने से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 149/2021 बअनवान कमला वगैरह बनाम मृतक लाबूराम के वारिसान गोगीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित भू.अ.नि. से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी की आराजीयात खसरा संख्या 138, 139 व 140 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 132/2 व 130 सहित सभी संभव विकल्पों को दर्शाते हुए एवं मौके पर स्थाई संरचना निर्मित होने की दशा में निर्मित वास्तविक भाग को छोड़ते हुए पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णित किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाने तक पूर्व में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का नवीन निर्माण आदि नहीं करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 07.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **11.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner